भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

**राज्यसभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या \*290**

उत्तर देने की तारीख 22.03.2018

**विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता**

\*290. श्री माजीद मेमनः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि रातों-रात गायब हो जाने वाले (फ्लाई-बाय-नाइट) गैर-सरकारी संगठनों ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के समग्र विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बड़ी मात्रा में धनराशि आहरित की है, परंतु वास्तव में कोई कार्य नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान जनजातियों के लिए शैक्षणिक और तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, प्रदान की गई धनराशि सहित तत्संबंधी राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त शैक्षणिक केन्द्रों तथा स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्तावों की संख्या का, राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार, ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य मंत्री

(श्री जुएल ओराम)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*

**“विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता” के संबंध में श्री माजीद मेमन द्वारा दिनांक 22.03.2018 को पूछे जाने वाले राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या \*290 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख): उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(ग): गत दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान शैक्षिक तथा प्रौद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

(घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय शैक्षिक केंद्रों को मान्यता प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकरण नहीं है और अत: इस संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

अनुलग्नक

**“विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता” के संबंध में श्री माजीद मेमन द्वारा दिनांक 22.03.2018 को पूछे जाने वाले राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या \*290 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ‘**अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान**’,‘**कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण**’ **तथा** ‘**जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण**’ **की योजनाओं क तहत केवल शैक्षिक तथा प्रशिक्षण केंदों के लिए वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान एनजीओ/वीओ को निर्मुक्त राज्य-वार निधियों के ब्यौरे** | | | |
| (**राशि रुपये में**) | | | |
| **राज्य** | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18  (15.03.2018 **तक**) |
| आंध्र प्रदेश | 215596513 | 38269849 | 6282439 |
| अरुणाचल प्रदेश | 3040266 | 9002476 | 23153821 |
| असम | 2161146 | 15394680 | 25137903 |
| छत्तीसगढ | 1620270 | 10560168 | 9961420 |
| गुजरात | 172441201 | 289860288 | 154189459 |
| हिमाचल प्रदेश | 0 | 27733860 | 22654468 |
| जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 1968601 |
| झारखंड | 7588000 | 11039573 | 34470679 |
| कर्नाटक | 6377562 | 14392474 | 16909093 |
| केरल | 5221984 | 8448386 | 3781350 |
| मध्य प्रदेश | 20343660 | 56625806 | 44035569 |
| **महाराष्ट्र** | **3377213** | **34517468** | **41585768** |
| मणिपुर | 4703490 | 38470297 | 15583320 |
| मेघालय | 25812558 | 60692770 | 35477047 |
| मिजोरम | 0 | 1549530 | 1334504 |
| नागालैंड | 0 | 2448000 | 3079598 |
| दिल्ली | 0 | 907171 | 1714742 |
| ओडिशा | 114572937 | 232295745 | 175478084 |
| राजस्थान | 3182749 | 21661078 | 3963317 |
| सिक्किम | 5454113 | 5205330 | 9081202 |
| तमिलनाडु | 1181790 | 4682854 | 11333158 |
| तेलंगाना | 50052136 | 135762421 | 39867085 |
| त्रिपुरा | 1582470 | 6602040 | 3261804 |
| उत्तर प्रदेश | 2218403 | 3448897 | 6743175 |
| उत्तराखंड | 1059908 | 10556923 | 2200115 |
| पश्चिम बंगाल | 12708666 | 21053412 | 27973343 |
| **कुल** | **660297035** | **1061181496** | **721221064** |

\*\*\*\*